मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

क्रमांक एफ सी-3-43/90/3/1 भोपाल, दिनांक 10 जनवरी 1991

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, म. प्र. ग्वालियर
समस्त संभागायुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश।

विषयः—शासकीय विभागों में ढिलाई तथा भ्रष्टाचार का उन्मूलन/अनिवार्य सेवा निवृत्ति के लिए मापदण्ड/शासन के निर्देशों के मुताबिक कार्रवाई.

संदर्भः—इस विभाग के निम्नलिखित ज्ञापन :—

1. 35/2/67/1/3/82 दिनांक 18-1-83
2. एफ क्र. सी-3-19/83/3/1 दिनांक 22-7-83
3. एफ क्र. सी-3-10/84/3/1 दिनांक 26-3-84
4. एफ क्र. सी-3-24/84/3/1 दिनांक 20-7-84

इस विभाग के उल्लिखित ज्ञापनों द्वारा अक्षम एवं कार्यक्षमता का अपेक्षित स्तर कायम न रखने वाले शासकीय सेवकों को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त करने के लिए छानबीन समितियों के गठन एवं अनिवार्य सेवानिवृत्त हेतु मापदण्डों के पुनर्निधारण से संबंधित निर्देश जारी किए गए हैं।

2. संदर्भ क्रमांक 1 के पैरा 4 में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार छानबीन समितियों की छानबीन करने का अपना कार्य प्रत्येक वर्ष जनवरी के महिने में पूरा कर प्रतिवेदन संबंधित विभाग के सचिव को 20 जनवरी तक प्रस्तुत कर देना चाहिए। यह भी स्पष्ट किया गया था कि संबंधित विभागीय सचिवों की यह जिम्मेदारी होगी कि वे प्राप्त प्रतिवेदनों का शीघ्र परीक्षण करने के बाद सेवानिवृत्त करने के मामलों में 31 जनवरी तक समन्वय में मुख्यमंत्रीजी के आदेश प्राप्त करें।

3. शासन के ध्यान में यह बात लाई गई है कि शासन के उपयुक्त निदेशों का समुचित ढंग से पालन नहीं किया जा रहा है।

4. कृपया अपने विभाग में क्या स्थिति है इसका आकलन करें और प्रश्नास्पद निदेशों का पालन सुनिश्चित करवाएं।

हस्ता/-
(एम. एस. सिन्हा)
उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग